

पत्रांक:

/आयु०कर, उत्तरा०/फार्म-अनु०/2014-15/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म-अनुसाग)

देहरादून :दिनांक: २४ अक्टूबर, 2014

विज्ञाप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम-30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म-16 जिनके खो जाने/चोरी होने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :-

क्र०	स०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/ नष्ट हुए फार्मों/ स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सरक्षी अभियंक भारद्वाज, सहस्रधारा रोड, तरला नगर, देहरादून। टिन-050014529655	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 5545053	खोने के कारण	
2.	सरक्षी स्वास्ति कॉलास इण्ड०, काशीपुर। टिन-05012782491	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1509286	खोने के कारण	
3.	सरक्षी द लिटिल फैक्ट्री, बी-देवमूर्मि इण्डस्ट्रीयल स्टेट, बन्नाखेड़ी, रुड़की। टिन-05006912730	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1258424	खोने के कारण	
4.	सरक्षी एस०एम० एण्टरप्राइजेज, 197 नेहरू नगर, रुड़की। टिन-05004122719	प्ररूप-XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 3643402, 3643403	खोने के कारण	
5.	सरक्षी सेन्ट्रल फॉल्यू फॉर्म प्लांट, यूनिट ऑफ बी०एच०इ०एल० हरिद्वार। टिन-05001763485	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 3048266	खोने के कारण	
6.	सरक्षी सिम्पेक्स फार्म प्रा०लि०, ग्रोथ सेन्टर, सिगड़डी हरिद्वार। टिन-05007484545	प्ररूप-XVI (08)	U.K.VAT-M 2012 1001619, 1001632, 1004811, 1004909, 1228749, 1232031, 1232052, 4279749	खोने के कारण	

(पीयूष कुमार)

एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

प०प०सरख्या ३३५३ / दिनांक उक्त :

- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले गजट में देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
 - 2- एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
 - 3- ज्याइन्ट कमिशनर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
 - 4- ज्याइन्ट कमिशनर (कार्यालयक)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतियों समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 5- डिप्टी कमिशनर(वि.अनु.शा.) वाणिज्य कर, इकाई ए. बी-देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी एवं काशीपुर, रुद्रपुर।
 - 6- डिप्टी कमिशनर (प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी।
 - 7- असिस्टेन्ट कमिशनर सचिलदल इकाई ए. बी-विकासनगर/देहरादून, ऋषिकेश, इकाई ए. बी-हरिद्वार, लक्ष्मणगढ़, खटीमा, सितारगंज, टनकपुर, रामनगर, इकाई ए. बी-काशीपुर, बाजपुर, इकाई ए. बी-रुद्रपुर, मौ० शाहब अली, डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून/web.Information officer को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - 8- ✓

एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।